(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3361–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 129/13–14/अपील.

1– रामबाबू पुत्र रामचरण शर्मा
निवासी मोतीझील जिला ग्वालियर
2– अयूब खॉ पुत्र मेहबूब खॉ
3– आरिफ खॉ पुत्र सनद खॉ
4– सारिक खॉ पुत्र सनद खॉ
5– आमिद खॉ पुत्र सनद खॉ
निवासीगण जगनापुरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– कुलवन्त सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
निवासी जलालपुर
तहसील व जिला ग्वालियर
2– महाराज सिंह पुत्र काशीराम
3– लल्लासिंह पुत्र काशीराम
4– मुन्ना पुत्र काशीराम
5– पप्पू पुत्र काशीराम
6– सरनाम सिंह पुत्र काशीराम
7– इकलाख पुत्र बाबू खॉ (मृत) वारिसान :–
7.1– रजिया बेगम बेवा इकलाख खॉ
7.2– इमरान पुत्र इकलाख खॉ
7.3– सलमान पुत्र इकलाख खॉ
7.4– अफरोज पुत्र इकलाख खॉ
7.5– हजारा पुत्र इकलाख खॉ
7.6– जूली पुत्री इकलाख खॉ
निवासीगण मेवाती मोहल्ला,
घासमण्डी, ग्वालियर
8– सिराज पुत्र बाबू खॉ
9– हबीब पुत्र बाबू खॉ
10– मोहसिन पुत्र सनद खॉ

11– शबनम पुत्री सनद खॉ
12– सोनी पुत्री सनद खॉ
13– हिना पुत्री सनद खॉ
14– मुस. मुन्नी बेवा रसीद खॉ
15– मजीद खॉ पुत्र रसीद खॉ
16– छोटे खॉ पुत्र रसीद खॉ
17– आसवान पुत्र रसीद खॉ
नाबालिग सरपरस्त मॉ मुन्नीदेवी
निवासीगण जगनापुरा, ग्वालियर
18– रफीक पुत्र अब्दुल अजीज
19– फुलवारी पुत्री अब्दुल अजीज
पत्नी हब्बी (मृत) वारिसान :–
19.1– इस्लाम पुत्र हब्बी
19.2– रीना पुत्री हब्बी
19.3– गुड्डी पत्नी याद मोहम्मद पुत्री हब्बी
19.4– मुस्कान पुत्री याद मोहम्मद
19.5– रियाज पुत्र याद मोहम्मद
19.6– गुलवासा पुत्री याद मोहम्मद
नाबालिग सरपरस्त मॉ
स्वयं गुड्डीबाई पत्नी याद मोहम्मद
निवासीगण बीलपुरा
तहसील व जिला ग्वालियर
20– कमीशन
21– अन्नो पुत्रीगण अब्दुल अजीज
22– सलीम खॉ पुत्र बशीर खॉ
23– ईशाक खॉ पुत्र बशीर खॉ
24– सीमा पुत्री बशीर खॉ
25– नफीसा पुत्री बशीर खॉ
26– नजमा पुत्री स्व. मेहबूब खॉ
27– सलमा पुत्री स्व. मेहबूब खॉ
निवासीगण जगनापुरा, ग्वालियर
28– इन्दर सिंह पुत्र किशनलाल
निवासी नौमहल्ला, घासमण्डी, ग्वालियर
29– भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
30– रामवरन सिंह पुत्र गोपाल सिंह
निवासीगण सत्यनारायण का मोहल्ला,
घासमण्डी, ग्वालियर
31– जीवन सिंह नाबालिग
सरपरस्त पिता नन्हे सिंह यादव
32– प्रताप सिंह पुत्र गंगाराम
निवासीगण घासमण्डी, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 से 4
श्री समीर खान, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 8,9 व 22, 24, 25
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 23
श्री एस0एन0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 28, 29 व 30
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक अनावेदक कमांक 31 व 32

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 कुलवन्त सिंह द्वारा तहसील न्यायालय ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम मानुपर स्थित भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 11.169 के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3/85–86/अ–27 दर्ज कर दिनांक 22–1–91 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध वर्ष 2011 में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सिटी ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–9–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2015 को आदेश परारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न बटवारा सूची दिनांक 29–9–87 के अनुसार बटवारे के आदेश प्रदान किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण की ओर से प्रकरण कमांक 23/09–10/अ–27 एवं 117/2009–10/अ–6 मंगाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त प्रकरण मंगाये बिना अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी कहा

गया कि प्रश्नाधीन भूमियों में से सर्वे नम्बर 479 रकबा 0.991 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 480 रकबा 1.223 हेक्टेयर विकय अनुबंध पत्र दिनांक 5–3–2001 एवं 1–5–2001 से कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, और उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, इस कारण भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में प्रचलित वाद दिनांक 23–7–2002 को निरस्त हो चुका है, इस कारण भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण को तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए जानकारी होने पर निगरानी समस–सीमा मं प्रस्तुत की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत हुई थी, जिसमें आवेदकगण को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, इसके बावजूद भी नये प्रकरण में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित होने से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में किये गये अंतरण शून्य हैं ।

तर्कों के समर्थन में 1990 आर.एन. 95 (हा.को. डी.बी.) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमाक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्द बटवारे पर सभी की सहमति है । यह भी कहा गया कि रामबाबू द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है, इसलिए उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि यह निगरानी सर्वे कमांक 479 एवं 480 के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जो कि बटवारे में विकेता को ही प्राप्त हुई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 475 मेहबूब खॉ के वारिसों का है, और फर्द बटवारे पर मेहबूब खॉ के हस्ताक्षर हैं । यह भी कहा गया कि आवदेकगण द्वारा अब्दुल अजीज की भूमि कय की गई है, इसलिए आवेदकगण को इस निगरानी में कोई ग्रीवांस नहीं, और उनकी कोई लोकस स्टेण्डाई भी नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहमति से पारित बटवारा आदेश के विरूद्ध 40 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रचलन योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 2 लगायत 5 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष बटवारे में सहमति दी गई है, इसलिए उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 केवल

कब्जेदार है, और वह सहखातेदार नहीं है, इसलिए बटवारे में हस्तक्षेप करने का अधिकार आवेदक कमांक 1 को नहीं है ।

5/ अनावेदक कमाक 28, 29 एवं 30 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों में से कुछ भूमि उनके द्वारा कय की जाकर उंनके आधिपत्य में है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उनकी भूमि को बटवारे में शामिल करने में अवैधानिकता की गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

6/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि जो भूमियां अनावेदक कमांक 28, 29 व 30 द्वारा कय की जाना बताई जा रही है, वही भूमियां विक्रेता को हिस्से में प्राप्त हुई है । ऐसी स्थिति में उनके हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं

7/ शेष अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया ।

8/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 1 रामबाबू द्वारा वर्ष 1991 में पारित बटवारा आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि उसके द्वारा भूमि ही वर्ष 2001 में कय की गई है । अर्थात वर्ष 1991 में आवेदक कमांक 1 रामबाबू प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में हितबद्ध पक्षकार नहीं है । आवेदक कमांक 1 रामबाबू द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वर्ष 1991 में पारित बटवारा आदेश में वह हितबद्ध पक्षकार है । आवेदक कमांक 1 रामबाबू द्वारा जिस व्यक्ति से भूमि कय की गई है, उसके द्वारा भी वर्ष 1991 में हुए बटवारा आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त बटवारा आदेश सहमति के आधार पर पारित हुआ था । पूर्व में अनावेदक कमांक 1 कुलवन्त सिंह बटवारा आदेश से सहमत नहीं था, परन्तु उसके द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उसकी भी अपरोक्ष रूप से सहमति परिलक्षित होती है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर